# महिलाओं का मानवाधिकार हनन : एक नूतन विमर्श

डॉ. संघ सेन सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

श्यामा प्रसाद मुख़र्जी राजकीय महाविद्यालय इलाहाबाद

मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं और व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। 'अधिकार' ॉब्द को परिभाषित करते हुए हैराल्ड लास्की ने कहा हैं ''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना समान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।'' भारतीय संविधान में देश की सभी महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किया गया हैं, जिन्हें नागरिकों के मूल–अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा सरकार को कुछ सिंध्दातों को लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिन्हें नीति–निर्देशक तत्व कहा जाता है।

मूल संवैधानिक अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है जिसके अन्तर्गत महिलाओं को पुरूषों के साथ सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार है तथा समान वेतन का अधिकार है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों की अवहेलना हो तो वे कानून की मदद ले सकते हैं।

महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण पूरे विश्व की समस्या है, केवल समस्या ही नहीं महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न इक्कीसवीं सदी के भारतवर्ष में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इक्कीसवीं सदी के वैज्ञानिक प्रगति ने तो महिला उत्पीड़न के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। शारीरिक रूप से निर्बल और आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होने के कारण सदियों से महिलाओं के साथ दुर्ब्यवहार, शोषण और उत्पीड़न होता रहा है और यही कारण है की उन्हें अपने मानवाधिकारों के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। भारतीय समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है और इस धारणा से ग्रसित रहा है कि महिलाएँ पुरुषों से निम्नतर हैं। आज भी उत्पीड़क की पहली शिकार महिलाएँ ही होती हैं। भारत में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन–शोषण, छेड़छाड़, असमानता का व्यवहार आदि घटनाएँ घटित हो रही हैं। महिलाओं के साथ हिंसा विश्व में आज मानव अधिकार उल्लंघन का सबसे घिनौना रूप माना जा रहा है। आज पारिवारिक हिंसा जैसे ज्वलंत समस्याएँ निःसंदेह

मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा है और विकास के मार्ग में गंभीर रूकावट है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक हिंसा का कोई एक कारण नहीं है यह एक ऐसी वैश्विक समस्या है जो महिलाओं की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हत्या करती है। इस तथ्य को 1994 के विएना समझौते और पेइचिंग घोषणा तथा कार्यवाही (1995) में भली–भाँति स्वीकार किया गया था।

''महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा'' आज भारतीय सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत दुखद एवं चुनौतीपूर्ण तथ्य है। आमतौर पर ''घरेलू हिंसा और वैवाहिक हिंसा''14 को एक–दूसरे का पर्याय माना जाता है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दोनो एक जैसा लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है। घरेलू हिंसा का ही व्यापक शब्द है, पारिवारिक हिंसा और पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत सास–ससुर, देवर–ननद, जेठ–जेठानी आदि द्वारा महिला को सताना और मार–पीट करना भी शामिल है। इसके विपरीत वैवाहिक हिंसा जो कि एक संकुचित शब्द है, जिसमें केवल पति–पत्नी के बीच होने वाली हिंसा को रखा जाता है अर्थात् पति द्वारा पत्नी के खिलाफ और पत्नी द्वारा पति के खिलाफ हिंसा को सम्मिलित किया जाता है।

भारत में तो दहेज की माँग करते हुए महिलाओं पर हिंसा आए दिन का घटनाक्रम बन गया है। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को प्रताड़ित करना, पति की मृत्यु का कारण यह कहकर ठहराना कि वह पति के लिए अशुभ है या उस पर जादू–टोना का आरोप लगाया जाता है। दहेज हेतु पत्नी की हत्या की भी घटनाएँ बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में एक विचारनीय पहलू यह है कि समाज का एक बड़ा भाग महिलाओं पर हिंसा करने में प्रवृत्त है, लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष महिलाओं का है अर्थात् आज महिलाएँ ही महिलाओं पर हिंसा करने में आगे हैं, जैसे– जन्म के साथ ही पुत्र और पुत्री में भेद, महिला वर्ग पर हिंसा का प्रारंभ है। इस हिंसा की ॉुरूवात स्वयं महिला द्वारा ही किया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरणों में माता स्वयं अपने पुत्र और पुत्री में भेद करती है।

महिलाओं के अधिकारों के हनन में जितना समाज दोषी है, उतना ही स्वयं महिलाओं की अपनी मानसिक दुर्बलता और हीन भावना दोषी है। आज पढ़ी–लिखी महिलाएँ भी शोषण और हिंसा को सहती हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं और तो और महिलाएँ ही महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं। आज यदि महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार पाना है, तो उसे खुद को शिक्षित एवं प्रशिक्षित तथा सक्षम बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है

और अपने तथा अन्य महिलाओं के प्रति हो रहे अधिकारों के हनन को रोकने में सहभागी बनना होगा। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए कई अधिकार दिए गए हैं तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें कई प्रकार के कानूनी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अतः वर्तमान में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी जामा काफी विस्तृत है, केवल आवश्यकता है उन अधिकारों पर ध्यान देने की। महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की हों या नगरीय क्षेत्र की, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता हैं। वास्तव में एक जागरूक महिला एक स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार का स्रोत है। यदि परिवार खुशहाल हो, तो समाज खुशहाल होगा और समाज खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल होगा, तभी हम एक विकसित एवं समृद्ध भारत का सपना पूरा कर सकते हैं।

आज इस विषय का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि महिलाओं का मानवाधिकार हनन जो वर्तमान समय में हो रहा है, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय समाज के सामाजिक एवं पारिवारिक ढाँचे में एक बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज महिलाओं के सामाजिक विकास के लिए ऐसे सामाजिक ढाँचे की आवश्यकता है, जो स्त्रीपरक हो, उसके साथ न्याय करता हो तथा ऐसे बजट की प्राथमिकताएँ हों, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा व मानव विकास सम्मिलित हो। अतः उक्त तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने पर ही निराकरण संभव हो सकता है। वास्तव में कोई भी घटना शून्य में घटित नहीं होती, उसके पीछे कार्य–कारण संबंध अवश्य होते हैं। यह अध्ययन इस दिशा में एक प्रयास है, इससे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को महिलाओं के हितों से संबंधित अथवा महिला अधिकारों के हनन को रोकने संबंधित नियमों के क्रियान्वयन करने में सहायता मिल सकती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा कोई नई सामाजिक समस्या नहीं है। भारतीय परंपरागत पुरुष प्रधान समाज में सैद्धांतिक रूप से यद्यपि महिलाएँ पूजनीय एवं आदरणीय रही हैं, किंतु व्यवहारिक पक्ष ऐसा नहीं है। विचारों, अंधविश्वासों, रीति–रिवाजों तथा व्यवहार के प्रचलित प्रतिमानों के अंतर्गत महिलाओं की निर्योग्यता एवं पुरुषों का विशेषाधिकार महिलाओं की दुखद सामाजिक प्रस्थिति को अभिव्यक्त करती है। भारत में महिलाएँ शताब्दियों से शोषण एवं हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा भारतीय सामाजिक जीवन के लिए कलंक है। एक विकासशील राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में राष्ट्र की नींव जो परिवार है, जिसमें महिलाएँ अपमानित, शोषित एवं

प्रताड़ित हैं, क्या यह सपना पूरा हो सकता है ? महिलाएँ चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हों अथवा नगरीय, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, गृहणी हो या अथवा कामकाजी, बालिका, किशोरी, युवती अथवा वृद्धा हो किसी–न–किसी रूप में पारिवारिक हिंसा की शिकार हैं।

प्रायः भारतीय समाज में अभी भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि पुत्रियाँ आर्थिक दृष्टि से माता–पिता को सहयोग नहीं कर पाती हैं तथा परिवार के सदस्यों का ये भी मानना है कि पुत्रियों के विवाह पर दहेज–प्रथा के कारण धन अधिक खर्च होता है, इस कारण माता–पिता कई बार पुत्री जन्म को अशुभ मानते हैं तथा उनकी देख–भाल, खान–पान, रहन–सहन की अन्य सुविधाएँ प्रदान करने तथा उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने में लापरवाही बरतते हैं। बीमार होने पर उनकी चिकित्सा विलंब से कराई जाती है या बीमारी को नज़रअंदाज किया जाता है। इस कारण लड़कियों की स्थिति उनके माता–पिता के घर में भी अच्छी नहीं रहती है।

**सामाजिक उत्पीड़न एवं हिंसा तथा कारण**

प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को श्रेष्ठ माना गया। वैदिककाल को महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल माना गया। यद्यपि इस काल में भी समाज और परिवार में पुरुषों की प्रधानता रही है। हाँलाकि कुछ महिलाएँ व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर वैदिक साहित्य के अध्ययन और विकास में प्रवीणता प्राप्त की थी, जिनमें लोपमुद्रा और उर्वशी आदि महिलाओं ने ऋग्वेद की कुछ संहिताओं की भी रचना की थी

मध्यकाल में भारतीय समाज में पर्दा–प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ था। महिलाओं की शिक्षा तथा प्रगति बाधित हुई। इस दौर में सबसे ज़्यादा समाज और परिवार में महिलाओं की प्रतिष्ठा का हनन हुआ और उसके स्वतंत्र विचारों के प्रवाह तक को रोका गया। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बखूबी भूमिका निभाई थी। झाँसी की रानी के बाद, सरोजनी नायडू , एनीबेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरूणा आसफ अली, श्रीमती इंदिरा गाँधी आदि ने तो अपने बूते पर देश में प्रतिष्ठा पाई तथा देश–विदेश की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी।

शिक्षा और आधुनिकीकरण का दिनों–दिन विकास और साथ ही बलात्कार और दहेज–हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। फिल्मों में महिलाओं के वस्त्राभूषण और अंग–प्रदर्शन के कारण

बालिकाओं और महिलाओं में चमक–दमक और आधुनिकता के अंधे परिवर्तन का समावेश हुआ है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को और भी नीचे की ओर ले जाने में सहायक हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सशक्त कदम उठाए गए हैं। चार्टर की प्रस्तावना में लिखा गया है कि ''संयुक्त राष्ट्र के हम लोग यह विश्वास करते हैं एवं निश्चय करते हैं कि हम भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से, जिसने दो बार समस्त मानव–समाज को अत्यधिक पीड़ा पहुँचाई है, बचाने का प्रयास करेंगे। हम मानव के मौलिक अधिकारों, मानव–व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा एवं मूल्य, स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकारों में तथा छोटे एवं बड़े राष्ट्रों की समानता में विश्वास प्रकट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

## मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान

राज्यों में नागरिकों की उन्नति एवं विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवाश्यक माने जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जैसे– समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

इन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं– संविधान के भाग–3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। विधि का समान संरक्षण से अभिप्राय सब लोगों के साथ समान व्यवहार। इसमें प्रत्येक नागरिक के मध्य किसी भी प्रकार के विभेद के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे उसकी हैसियत, पद–प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किए गए इन विशेष प्रावधानों के लाभ महिलाओं को प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 15 के अंतर्गत वंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेद–भाव पर प्रतिबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए यह प्रावधान है कि उनके साथ केवल महिला होने के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 (3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 16 (4) के अधीन राज्य की सेवाओं में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 25 से 28 तक में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को संस्कृति, शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा अनुच्छेद 32 द्वारा भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं,

## महिला अधिकार हनन एवं मानवाधिकार अधिनियम की भूमिका

भारतीय संविधान देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंशा की घोषणा करता है। हमारे देश के सभी कानून हमारे संविधान द्वारा अधिकृत होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक न्याय दो प्रकार से लागू किया गया है, साधारणतः अधिकार दो प्रकार के होते हैं–

### 1. नैतिक अधिकार

नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत तथा आल्पिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका संबंध नहीं होता।

### 2. कानूनी अधिकार

ये वे अधिकार हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने से इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सरकार को कुछ सिद्धांतों को लागू करने के निर्देश देकर इन्हें राज्य के नीति–निर्देशक तत्व कहा जाता है। नागरिक अधिकार बहुत ही व्यापक हैं, किंतु विशेषाधिकार वे हैं, जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं।

44 में संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को और अधिक महत्व दिया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 22 में

बंदीकरण की अवस्था में अधिकार, जिसके अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना अधिक समय तक बंदीगृह में नहीं रखा जाएगा।

## निष्कर्ष

भारतीय सामाजिक परिवेश में भारतीय नारी के प्रति पुरुष के हिंसक एवं उत्पीड़न के संदर्भ में विचार करने पर यह तथ्य सामने आया है कि भारतीय समाज एक परंपरागत रूढ़िवादी समाज है, जो कि धार्मिक आदेश/निर्देश, व्यवस्था व व्याख्याओं की प्राणवायु लेकर अपने को जीवित रखता आया है, जिसमें नारी का जो स्थान है, चाहे वह कैसे भी उच्च स्थिति की बात करे, आज भी वह पुरुषाधीन है। महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण पूरे विश्व की समस्या है, केवल समस्या ही नहीं महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न इक्कीसवीं सदी के भारतवर्ष में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इक्कीसवीं सदी के वैज्ञानिक प्रगति ने तो महिला उत्पीड़न के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। भारतीय समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है और इस धारणा से ग्रसित रहा है कि महिलाएँ पुरुषों से निम्नतर हैं। आज भी उत्पीड़क की पहली शिकार महिलाएँ ही होती हैं। भारत में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन–शोषण, छेड़छाड़, असमानता का व्यवहार आदि घटनाएँ घटित हो रही हैं। आज पारिवारिक हिंसा जैसे ज्वलंत समस्याएँ निःसंदेह मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा है और विकास के मार्ग में गंभीर रूकावट है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**


- सारस्वत, अक्षेन्द्रनाथ (2002);''सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस'', राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ. 3.
- इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स (1.1); भारतीय मानव अधिकार संस्थान,नई दिल्ली.पृ.3.
- मोहन, सुरेन्द्र (1992); ''मानवाधिकारों के समक्ष नई चुनौती'', हिंदी दैनिक हिंदुस्तान,नई दिल्ली, पृ. 6.
- कुमार, पुनीत (2008); ''मानव अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र'',कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 104.
- शर्मा, पूजा (2012);''महिलाएँ एवं मानव अधिकार'', सागर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 4.
- देसाई, नीरा और कृष्णराज, मैत्रेयी (1987). ''वूमैन एंड सोसायटी इन इंडिया''. दिल्ली, पृ. 26–27.

- अंसारी, एम.ए. (1995).''राष्ट्रीय महिला आयोग व भारतीय नारी''.पृ. 39.
- आप्टे, प्रभा (1996); ''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिकल आप्टे, प्रभा (1996); ''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिकल पब्लिशर्स हाऊस, जयपुर, पृ. 151. हाऊस, जयपुर, पृ. 151.
- अंसारी, एम.एन. (1989); ''नारी–चेतना और अपराध'', पंचशील प्रकाशन,जयपुर,पृ. 12.
- सिंह, निशांत (2011); ''स्त्री सशक्तिकरण एक मूल्यांकन'', खुशाी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 84–85.